छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

परिपत्र क्रमांक–111 /रेरा/2025/579 **दिनाँक 04/03/2025,**

//परिपत्र//

विषयः– परिपत्र क्रमांक 74 दिनांक 13/07/2022 के संबंध में स्पष्टीकरण।

माननीय प्राधिकरण के द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन तिथि के समय लंबित दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत करने हेतु परिपत्र क्रमांक 74 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तद्संबंध में परिपत्र क्रमांक 74 के बिंदु क्रमांक 3 एवं 4 में जारी निर्देश के संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जारी किए जाते है –

3. सभी प्रमोटर द्वारा प्रोजेक्ट हेतु रेरा विनिर्दिष्ट खाता, प्रोजेक्ट पंजीयन तिथि के एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से खोला जाना होगा जिसे परिपत्र क्रमांक 99 के अनुसार संचालित करना होगा। प्रोजेक्ट पंजीयन तिथि के एक माह के भीतर रेरा खाता खोले जाने पर किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क देय नहीं होगा।

4. प्रमोटर्स द्वारा प्रोजेक्ट पंजीयन तिथि के एक माह पश्चात् रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोले जाने पर रुपये 10000/– विलंब शुल्क एवं पंजीयन तिथि के दो माह पश्चात् रेरा विनिर्दिष्ट खाता खोले जाने पर रुपये 20000/– विलंब शुल्क देय होगा।

नोटः– प्रमोटर द्वारा एक माह के भीतर रेरा विनिर्दिष्ट खाता नहीं खोले जाने पर रेरा विनियमन का उल्लंघन करने के कारण अधिनियम की धारा 61 के अधीन पृथक से शास्ति के लिए दायी होगा।

आस्था राजपूत
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
रायपुर (छ.ग.)